

उत्तर प्रदेश शासन
आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-3
संख्या 547/8-3-2010-09विविध/09
लखनऊ : दिनांक : 24 फरवरी, 2010

अधिसूचना
शुद्धि-पत्र

उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम, 1973 (राष्ट्रपति अधिनियम संख्या-11 सन् 1973) की धारा-57 के खण्ड (ख, ख) के अधीन ".....विकास प्राधिकरण अपराधों का शमन उपविधि, 2009" शासन की अधिसूचना संख्या-4824/8-3-09-09विविध/2009, दिनांक 14 जनवरी, 2010 द्वारा निर्गत की गयी है।

2- उक्त अधिसूचना संख्या-4824/8-3-09-09विविध/2009, दिनांक 14 जनवरी, 2010 के पृष्ठ-7 में अंकित टिप्पणी के प्रस्तर-(11) में उल्लिखित प्राविधान अर्थात् "इस शमन उपविधि के लागू होने की तिथि से पूर्व शमन हेतु विचाराधीन प्रकरणों का निस्तारण पूर्व में प्रभावी विकास प्राधिकरण शमन उपविधि के प्राविधानों के अधीन सुनिश्चित किया जाएगा।" को हटा दिया गया है।

3- प्रश्नगत अधिसूचना दिनांक 14.1.2010 को उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाय।

आज्ञा से,

अरुण कुमार सिन्हा
प्रमुख सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, लखनऊ को इस अभ्युक्ति के साथ प्रेषित कि उक्त अधिसूचना को साधारण गजट में दिनांक फरवरी, 2010 के अंक में प्रकाशित कराने तथा अधिसूचना की 50 (पचास) मुद्रित प्रतियाँ शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

आज्ञा से,
(शिम निरंजन)
अनु सचिव

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- प्रमुख सचिव, गृह, उत्तर प्रदेश शासन।
- 2-अध्यक्ष, समस्त विकास प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश।
- 3-आवास आयुक्त, उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद।
- 4-उपाध्यक्ष, समस्त विकास प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश।
- 5-अध्यक्ष, समस्त विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश।
- 6-समस्त नियंत्रक प्राधिकारी/जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
- 7-मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
- 8-समस्त मुख्य अग्नि शमन अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
- 9-अधिशासी निदेशक, आवास बन्धु, उत्तर प्रदेश।
- 10-अपर निदेशक, आवास बन्धु को इस निर्देश के साथ कि प्रश्नगत संशोधन को सर्व सम्बन्धितों को प्रेषित कराने के साथ-साथ इसे आवास एवं शहरी नियोजन विभाग की वेबसाइट पर अपलोड भी कराने का कष्ट करें।

आज्ञा से,



(राम निरंजन)

अनु सचिव